न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

वाद–पत्र संख्या :–108 / 2019 दायर दिनांक: 09.08.2019

GCMS NO:- 2019/00451

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस)

हेमराज पुत्र रामनाथ जाति धाकड निवासी बामनगांव तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।

–वादी–

बनाम

1. भैरू पुत्र मूल्या जर्ये संरक्षक शंकर जाति कलाई निवासी बामनगांव तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
2. ओमप्रकाश पुत्र किशनाजाति कलाई निवासी बामनगांव तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
3. रवी पुत्र किशना जाति कलाई निवासी बामनगांव तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
4. पप्पू पुत्र किशनाजाति कलाई निवासी बामनगांव तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
5. सीताराम पुत्र मोती जाति कलाई निवासी बामनगांव तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
6. कन्की पत्नी मोती जाति कलाई निवासी बामनगांव तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
7. गीता पुत्री गोपाल हाल पत्नि पप्पू जाति ब्रहमण निवासी सुवांसा तहसील तालेडा जिला बून्दी।
8. मंजू पुत्री गोपाल हाल पत्नि रामस्वरूप जाति ब्राहमण निवासी बामनगांव तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
9. सीमा पुत्री गोपाल हाल पत्नि किशनजाति ब्रहमण निवासी सुवांसा तहसील तालेडा जिला बून्दी।
10. बीना पत्नि नारायण जाति महाजन निवासी बामनगांव तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
11. भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।

——प्रतिवादीगण–

वाद पत्र– अंतर्गत धारा 251 ए एंव 188 आरटी एक्ट

उपस्थिति–

वादीगण एवं प्रत्यार्थीगण निर्णय दिनांक 13.12.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम बामनगांव पटवार मण्डल बामनगांव तहसील नैनवां में भूमि खसरा संख्या 1904 रकबा 18 बीघा 02 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। यह कि वादी की भूमि खसरा संख्या 1904 पर आने जाने का एक मात्र रास्ता खसरा संख्या 1886 में ग्राम बामनगांव से ग्राम गंभीरा जाने वाले कच्चे रास्ते से होकर खसरा संख्या 2040 व 1903 की मेड पर पूर्व से पश्चिक दिशा की ओर होकर वादी की भूमि में पहुंचता है। उस रास्ते को वाद पत्र के साथ प्रस्तुत परिशिष्ट अ में लाल स्याही से दर्शाया गया है। यह कि प्रतिवादीगण 1 लगायत 10 ने गत सप्ताह से वर्णित रास्ते से वादी को निकलने नही दिया तथा रास्ते को फाडकर अपनी भूमि में मिलाने पर आमदा है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा वादी के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए वादी को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिए रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि वादी नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। वादी ने अपने वाद पत्र [illegible] नकल जमाबंदी, नक्शा परिशिष्ट अ, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 16:08:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 26.04.2019 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.05.2017 को निरस्त कर दिया गया है। पत्रावली पुनः दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान को सुनवाई हेतु तलब किया गया।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार वादी की भूमि तक पहुँचने के लिए प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक सीधा एवं सुगम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रास्ता नहीं है। वादी द्वारा चाहे गए रास्ते में भूमि खसरा संख्या 1903 व 2040 की भूमि पूर्व में ही सिवायचक दर्ज हो चुकी है। यह कि खसरा संख्या 1903/3439 में से रकबा 0.0162 है0 तथा खसरा संख्या 2040/3431 में से रकबा 0.0081 है0 अर्थात् कुल रकबा 0.0243 है0 भूमि दिया जाना उचित होगा। यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया हैं।

हमने वाद पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत दस्तावेज, न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा निर्णय दिनांक 26.04.2019 एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान फॉलाअप केम्प कोर्ट करवर में पेश हुई । उपस्थित पक्षकारान की वाद पत्र में बहस सुनी गयी। वादी को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में वादी को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम बामनगांव पटवार मण्डल बामनगांव तहसील नैनवां में भूमि खसरा संख्या 1904 रकबा 18 बीघा02 बिस्वा कृषि भूमिपर पहुंचने के लिए खसरा संख्या 1903/3439 में से रकबा 0.0162 है0 तथा खसरा संख्या 2040/3431 में से रकबा 0.0081 है0 अर्थात् कुल रकबा 0.0243 है0भूमि , जिसे नक्शा ट्रेस परिशिष्ट "क" में लाल स्याही से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 16:08:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner